न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 598 / 2016</u> संस्थापित दिनांक 28 / 09 / 2016

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

> > . अभियोजन

बनाम

 उमेश सिंह जाटव पुत्र कमलेशजाटव उम्र 18साल निवासी— वार्ड क.1 छततरपुरा गोहद जिलाभिण्ड म0प्र0

.... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—354 ग भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री आलोक उपाध्याय ।) (आरोपी **राज्ये**श द्वारा अधिवक्ता—श्री एस०एस० श्रीवास्तव।)

<u>:-- नि र्ण य --:</u>

(आज दिनांक 41/11/16 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 28/05/16 को 22:00बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद मैं अभियोक्त्री ललितादेवी की इच्छा के विरूद्ध उसका फोटो खीचकर दृश्यचारिकता कारित करने हेतु भादस की धारा 354 ग के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28/05/16 को अभियोक्त्री लिला अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसका इलाज कराने अपने पित के साथ सरकारी अस्पताल गोहद गई थी। बच्चे को बोतल लग रही थी वह बच्चे के पास पलंग पर बैठी थी तभी आरोपी उमेश ने उसका फोटो ,खीच लिया था मना करने पर भी वह नहीं माना था एवं उल्टा सीधा बोलने लगा था। अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गयाथा। उक्त आवेदनके आधार पर पुलिस थाना गोहद में विरूद्ध अप०क० 139/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाथा विवेचना के दोरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गयाथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय केसमक्ष प्रस्तुत किया था।

प्रतिष्टा अवस्था म्याधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहद जिला- निण्ड (म.प.) 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

\$1. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-</u> 1. क्या आरोपी ने दिनांक 28/05/16 को 22:00बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद में अभियोक्त्री की इच्छा के विरूद्ध उसका फोटो खीचकर दृश्यचारिकता कारित की?

उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री लिलता आ०सा०1 एवं अनिल सिंह तोमर आ०सा०2 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

> निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में वयक्त किया हैिक वह आरोपीउमेशको नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग 4–5 माह पहले की है उसका एक लड़के से मामूली मुंहवाद हुआथा जिसकी शिकायत करने वह थाने गई थी। थाने पर थाने वालों ने उससे हस्ताक्षर कराये थे जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रिर्पोट प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्र0पी03 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी ने दिनांक 28/07/16 को उसके मना करने पर भी उसका फोटो खीच लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैिक मना करने पर वह उल्टा सीधा बोलने लगा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया हैिक उसने उक्त बात अपने आवेदन प्र0पी01 रिर्पोट प्र0पी02 एवं पुलिस कथन प्र0पी03,4 में पुलिस को लिखाई थी एवं व्यक्त किया हैिक वह तो अज्ञात लड़के विरुद्ध मुहवाद की रिर्पोट लिखाने गई थी पुलिस ने आवेदन में क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे।
- पाक्षी अनिल सिंह तोमर आ०सा०२ ने अपने कथन में व्यक्त किया हैकि वह आरोपी उमेश को नहीं जानता है उसके न्यायालीन कथन से लगभग 4—5 माह पहले उसकी पिन का किसी लड़के से मुंहवाद हो गया था जिसकी रिर्पोट करने उसकी पिन गई थी वह बच्चे के पास रहा था वह थाने नहीं गया था। वह घटना के समय मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोशित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने परउक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी उमेश को जानता है एवं इस सुझाव से इंकार किया हैकि उमेश ने उसकी पिन की जबरदस्ती फोटो खीचे थे।
- **08** तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभीजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- जु. प्रस्तुत, पकरण में अभियोक्त्री ललिता आ०सा०१ ने अपने कथन में बताया हैकि वह आरोपी उमेश को नहीं जानती है उसका एक लडके सेमुंहवाद हो गयाथा जिसकी शिकातय करने वह

प्रतिका अविका प्रतिका अविका स्याधिक मिनिकटेट प्रथम श्रेण स्याधिक मिनिकटेट प्रथम श्रेण



3 आपराधिक प्रकरण कमांक 598/2016

थाने गई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया हैकि हाजिर अदालत आरोपी उमेश ने घटना दिनांक को उसके मना करने पर भी उसका फोटो खीचा था एवं इस तथ्य से भी इंकार कियाहैकि उसने उक्त बात अपने आवेदन प्र0पी01 एवं पुलिस रिर्पोट प्र0पी02 मे पुलिसको बताई थी। साक्षी अनिल आ0सा02 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त कियाहैकि उसकी पत्नि का किसी लड़के से मुंहवाद हो गया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया हेकि आरोपी उमेश ने जबरदस्ती उसकी पत्नि को फोटो खींचा था।

- 10. इस प्रकार अभियोक्त्री लिलता आ0सा01 एवं अनिल आ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गयाहै एवं आरोपी द्वाराअभियोक्त्री की फोटो खींचने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया हैं अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी उमेश ने अभियोक्त्री लिलता की इच्छा के विरूद्ध उसक फोटो खीचकर दृश्यचारिकता कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- यह अभियोजन का दायित्व हैकि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 12- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करेन में असफल रहाहै कि आरोपी ने दिनांक 28/05/16 को 22:00बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद में अभियोक्त्री लिलतादेवी की इच्छा के विरूद्ध उसका फोटो खीचकर दृश्यचारिकता कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी उमेश को भादस की धारा354 ग के आरोप से दोषमुक्त करती है।

अारोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते

प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल अपील अवधि पश्चात उसके स्वामी को वापिस किया जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक - 11-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) / (प्रतिष्ठा अवस्थी) / व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(मण्प्रेण) गोहद जिला भिण्ड(मण्प्रेण)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

11/11/16

(प्रतिष्टा अवस्थी)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

कोहर रि